

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

- पाली की जैतपुरा ग्राम पंचायत के अरूण कुमार, प्रशासक जाणुदा पंचायत समिति मारवाड जंक्शन 1,50,000/— रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर, रविवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देशन पर ए.सी.बी. पाली द्वितीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए अरूण कुमार, प्रशासक ग्राम पंचायत जाणुदा पंचायत समिति मारवाड जंक्शन जिला पाली को रिश्वत राशि मांग के कुल 2,70,000/— रुपये (दो लाख सत्तर हजार रुपये) में से प्रथम किश्त के रूप में 1,50,000/— रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी पाली द्वितीय को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी से उसके रहवासीय मकान का पट्टा बनाने की ऐवज में अरूण कुमार, प्रशासक ग्राम पंचायत जाणुदा पंचायत समिति मारवाड जंक्शन जिला पाली द्वारा 2,70,000/— रुपये (दो लाख सत्तर हजार रुपये) रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी रेंज जोधपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री भूवन भूषण यादव के सुपरविजन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली द्वितीय के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री खींव सिंह एवं टीम के द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया जाकर आज दिनांक 28.09.2025 को ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी अरूण कुमार, प्रशासक ग्राम पंचायत जाणुदा, को कुल रिश्वत राशि मांग के 2,70,000/— रुपये में से प्रथम किश्त के रूप में रिश्वत राशि 1,50,000/— रुपये (एक लाख रुपये भारतीय मुद्रा तथा 50 हजार डमी नोट) लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रनेज जोधपुर के श्री भुवन भूषण यादव उप महानिरीक्षक के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा अग्रिम कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।